



बिहार सरकार  
समेकित बाल विकास सेवाएं (ICDS) निदेशालय, बिहार  
(समाज कल्याण विभाग)



द्वितीय तल, इंदिरा मवन, राम चरित्र सिंह पथ, पटना-800001  
फोन: +91-612-2520960, फैक्स+91-612-2535900, website: www.icsdbih.gov.in

संचिका सं०:- ICDS/80050/07-2019/.....2882

दिनांक :- 11/06/2020

प्रेषक,

निदेशक,  
आई.सी.डी.एस.,

सेवा में,

सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी।  
सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी।

विषय:- COVID-19 के संक्रमण से बचाव हेतु माह जून में पूरक पोषाहार की राशि लाभार्थी के खाते में DBT के माध्यम से अंतरण करने के संबंध में।

प्रसंग:- आई.सी.डी.एस. निदेशालय के पत्रांक- कैम्प-I दिनांक 12.04.2020 एवं पत्रांक- कैम्प-II दिनांक 14.04.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि COVID-19 के संक्रमण से बचाव हेतु प्रासंगिक पत्रों द्वारा आँगनबाड़ी केन्द्रों के लाभार्थियों के खाते में DBT के माध्यम से राशि अंतरण करने हेतु निदेश दिया गया था।

उपरोक्त के क्रम में अग्रेतर कहना है कि माह जून, 2020 से बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा पूरक पोषाहार मद में प्राप्त आवंटन की राशि की निकासी कर DBT के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के खाते में अंतरण किया जाएगा। प्रवासी परिवारों के सभी श्रेणी के लाभार्थियों की पहचान कर, उन्हें निबंधित करते हुए उन्हें भी पूरक पोषाहार की राशि DBT से भेजना सुनिश्चित किया जाए। अंतरण की राशि की विवरणी निम्न प्रकार है:-

क्रमांक	लाभार्थी का विवरणी	(राशि रू०) प्रति लाभार्थी 25 दिनों हेतु कुल राशि
1	2	3
1	06 माह से 03 वर्ष के सामान्य/कुपोषित बच्चे	Rs. 200.00
2	06 माह से 03 वर्ष के अतिकुपोषित बच्चे	Rs. 300.00
3	03 वर्ष से 06 वर्ष के बच्चे	Rs. 135.00
4	गर्भवती/धात्री महिला	Rs. 237.50

अतः निदेश दिया जाता है कि तात्कालिक प्रभाव से उपरोक्त के आलोक में कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

इसे अतिआवश्यक समझा जाय।

विश्वा सभाजन

*(Signature)*  
निदेशक

आई.सी.डी.एस.

ज्ञापांक :- ICDS/80050/07-2019/.....2882

दिनांक :- 11/06/2020

प्रतिलिपि :- सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

*(Signature)*  
निदेशक

आई.सी.डी.एस.